(65)

संख्या 1381/सी.एम./9–आ–5–18 मिस/88

प्रेषक,
विजय शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 1994

विषयः **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/ भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास अनभाग–5 के शासनादेश संख्या 3840/11–5–86–18 मिस/78 दिनांक 4.6.86 में निर्गत आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में निम्नलिखित आरक्षित वर्गों के लिए उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा :–

| क0सं0 | वर्ग | आरक्षण का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति | 21 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति जाति | 2 |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 |
| 4. | विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी | 5 |
| 5. | सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों | 5 |
| 6. | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 2 |
| 7. | भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 3 |
| 8. | समाज के विकलांग व्यक्ति | 1 |

2. उक्त आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों की विहित दरों में किसी प्रकार की कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

3. जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य है, इनकी सूची उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की अनुसूची–एक में विर्निदिष्ट है।) इस अधिनियम की अनुसूची–दो में विर्निदिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, उनके लिए आरक्षित भवनों/भूखण्डों की संख्या से कम होती है तो ऐसी आरक्षित सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

5. उक्त आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

विजय शर्मा
सचिव

संख्या–4982 / 9–आ–1–99–79बैठक / 99

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक : 17 दिसम्बर, 1999

विषय :उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित एवं आवासीय / व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–138 सीएम / 9–आ–1–99–10 मिस / 88, दिनाँक 23 नवम्बर, 94 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों / भवनों के आवंटन में निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है :–

| क्रमांक | वर्ग | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति | 21 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति | 02 |
| 3. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 |
| 4. | विधायक, सांसद, व स्वतंत्रता संग्राम सैनानी | 05 |
| 5. | सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। | 05 |
| 6. | उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी | 02 |
| 7. | भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित | 03 |
| 8. | समाज के विकलाँग व्यक्ति | 01 |
| | योग | 66 |

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिये 10: के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा।